

विश्वेश्वररसा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर  
VISVESVARAYA NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR

क्र.स्था/परिपत्र/198  
दि.

परिपत्र

विषय : डि.ओ.पी.टी का ज्ञापन क्र.12011/3/2088 स्थापना (भत्ते) दिनांक 02/09/2008 के संबंध में वि.रा. प्रौ.सं. के कर्मचारियों (शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक) को संतान शिक्षा भत्ते का भुगतान।

उपरोक्त संदर्भ में इस संस्थान के सभी शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को निर्देश है कि वे संतान शिक्षा भत्ते की प्राप्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भर कर दे। आवेदन प्रपत्र संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन भरते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल दि. 31.03.2019 तक शालेय-शुल्क और अन्य मदों पर किया गया व्यय (जो कि का. ज्ञा. क्र. 12011/01/2008-स्थापना (भत्ते) दि.02.09.2008 में निर्धारित है) ही इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि D.O.P.T. के ज्ञापन क्र.12011/01/2011-स्थापना (भत्ते) दि. 04.05.2011 अनुसार प्रतिपूर्ति की राशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु 2 भागों में सीमित कर दिया गया है। पूर्ण एवं उचित रूप से भरे गए आवेदन 2 प्रतियों में दि. **25.01.2019** तक या उससे पूर्व स्थापना अनुभाग में पहुँचाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सहायक बिल के अभाव में, दावे को निरस्त किया जा सकता है।

श्री. रा. साठे

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

- (1) सभी विभाग एवं अनुभाग प्रमुख - उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों के मध्य परिचालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- (2) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
- (3) उप कुल सचिव (लेखा)

CIRCULAR

**Sub.:-** Payment of Children Education Allowances to V.N.I.T. employees (Teaching & Non-Teaching) in terms of O.M. No. 12011/3/2008-Estt (Allowance) dated 02.09.2008

With reference to above, all employees of this Institute (Teaching & Non-Teaching) are directed to furnish the application in the prescribed form for payment of children education allowance. The form of application may be downloaded from the Institute's website. It may be ensured that while furnishing the application, expenditure incurred upto 31.03.2019 on fees and other items as prescribed in O.M. No. 12011/3/2008-Estt (Allowance) dated 02.09.2008 should alone be included as reimbursement and will be restricted to *two terms of current financial year* in terms of D.O.P.T. O.M. No.12011/01/2011-Estt.(Allowance) dated 04.05.2011. The applications duly completed in all respect in duplicate should reach Establishment Section on or before **25.01.2019**. It is also clarified that in the absence of supporting bills, the claim will be rejected.

SRsath

REGISTRAR

1. All Heads of Department / Sectional Heads with request to bring contents of above Circular to the notice of staff working under them
2. Sr. Medical Officer
3. D.R. (Accounts)